बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्रांक–16विनि०–09/2018 – 1113 /कृ०, पटना, दिनांक- 15/10/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
(*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय :– **राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 कुल 02 (दो) वर्षो में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), मोहनियाँ (कैमूर) में चहारदिवारी, नाला, पथ, मुख्य द्वार एवं अन्य जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु कुल 1402.405 लाख (चौदह करोड़ दो लाख चालीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 1121.9240 लाख (ग्यारह करोड़ इक्कीस लाख बानवे हजार चार सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत ।**

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 कुल 02 (दो) वर्षो में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), मोहनियाँ (कैमूर) में चहारदिवारी, नाला, पथ, मुख्य द्वार एवं अन्य जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु कुल 1402.405 लाख (चौदह करोड़ दो लाख चालीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 1121.9240 लाख (ग्यारह करोड़ इक्कीस लाख बानवे हजार चार सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–266 दिनांक–28.02.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 280.4810 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 1121.9240 लाख (ग्यारह करोड़ इक्कीस लाख बानवे हजार चार सौ) रूपये कुल 1402.405 लाख (चौदह करोड़ दो लाख चालीस हजार पाँच सौ) रूपये पर कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), मोहनियाँ (कैमूर) में चहारदिवारी, नाला, पथ, प्रशासनिक भवन, मेन गेट, गार्ड रूम, हाईमास्ट लाईट का विद्युतीकरण एवं शौचालय का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

उपरोक्त स्वीकृत्यादेश के क्रम में कृषि विभाग, बिहार, पटना के शुद्धि–पत्र संख्या–16विनि०–09/2018–318/कृ० पटना, दिनांक–15.03.2019 के माध्यम से "स्वीकृत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा विश्वेश्वरैया भवन कोषागार, पटना से की जायेगी एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल०ए० खाता–242 में उपलब्ध करायी जायेगी" संशोधन किया गया है।

यह चालू योजना है। स्वीकृत्यादेश संख्या–266, दिनांक–28.02.2019 के अनुसूची–1 जो पुनः अनुसूची–1 के रूप में इसके साथ संलग्न है के प्राक्कलन अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), मोहनियाँ (कैमूर) के जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से इस योजना के कार्य प्रारंभ करने की सूचना प्राप्ति के उपरान्त ही भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि का कोषागार से निकासी की जाएगी।

4. बाजार समिति परिसर अवस्थित चहारदिवारी, नाला, पथ, प्रशासनिक भवन, मेन गेट, गार्ड रूम, हाईमास्ट लाईट का विद्युतीकरण एवं शौचालय का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य योजना की कार्यान्वयन हेतु 1402.405 लाख (चौदह करोड़ दो लाख चालीस हजार पाँच सौ) रूपये की तकनीकी अनुमोदन पत्रांक–832 (अनु), दिनांक–12.12.2018 को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा प्रदान की गई है। कार्य योजना का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	योजनाओं का नाम	राशि (लाख रू०)
1.	Construction of Boundary wall	154.916
2.	Construction of R.C.C Drain	142.096
3.	Construction of Road Work	946.218
4.	Estimate for Renovation of Administrative Building Bazar Samiti, Mohania, Kaimur	45.977
5.	Construction of Main Gate & Guard Room	11.188
6.	Provision of three nos. of high mast including 12 nos. Flood light with 20 meter pole height, provision of single and double Arm street light LED i.e., (65nos. And 50 nos.), 8 meter pole height with accessories in whole campus of Bazar Samiti, Mohaniya	80.109
7.	Construction of Sacuhalya including Septic Tank and water supply	21.901
	Total :-	1402.405

इस स्वीकृत राशि से उपरोक्त उल्लेखित कार्यों का निर्माण कार्य कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), मोहनियाँ, कैमूर द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित), पटना होंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा विश्वेश्वरैया भवन कोषागार, पटना से की जायेगी एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल०ए० खाता–242 में उपलब्ध करायी जायेगी । बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051– निर्माण, उपशीर्ष–0119–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059010510119 विषय शीर्ष 0119.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	5395.0000	931.1969
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0102–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017890102 विषय शीर्ष 0102.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	1040.0000	179.5079
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–796– जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017960105 विषय शीर्ष 0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	65.0000	11.2192
कुल योग :–	6500.000	1121.9240

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन के लिए द्वितीय वर्ष 2019–20 हेतु स्वीकृत राशि 1121.9240 लाख (ग्यारह करोड़ इक्कीस लाख बानवे हजार चार सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय करने हेतु माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–16विनि०–09/2018 के पृष्ठ सं०– 32/टि० पर दिनांक–17.09.2019 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या –16विनि०–09/2018 के पृष्ठ सं०–34/टि० पर दिनांक–23.09.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या 159,

दिनांक–20.09.2019 है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की उपर्युक्त सशर्त सहमति के आलोक में स्वीकृत्यादेश में सचिव, कृषि का अनुमोदन उक्त संचिका के पृष्ठ–39/टि० पर दिनांक–04.10.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
Rabindra 15-10-19
(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–09/2018 – 1113 /कृ०, पटना, दिनांक – 15/10/2019

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 15-10-19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–09/2018 – 1113 /कृ०, पटना, दिनांक – 15/10/2019

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 15-10-19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–09/2018 – 1113 /कृ०, पटना, दिनांक – 15/10/2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 15-10-19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–09/2018 – 1113 /कृ०, पटना, दिनांक – 15/10/2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 15-10-19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–09/2018 /कृ०, पटना, दिनांक 2019

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना /कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि०), पंत भवन, बेली रोड, पटना/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/ सभी संयुक्त कृषि निदेशक/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना प्रमंडल, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर/ अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), मोहनियाँ (कैमूर)/ सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ योजना शाखा/ बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rabindra 15-10-19
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–09/2018 – 1113 /कृ०, पटना, दिनांक- 15/10/2019

प्रतिलिपि :– उप कृषि निदेशक (सूचना), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

15-10-19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।